HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Application for Interim Bail No. IA 01/2024

IN

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 929/2024

Ganesh Tank @ Raja Tank Son Of Devki Nandan, aged about 25 years, resident of Saray Ganesh Ji Temple, Mali Pada, Lakheri, Police Station, Lakheri, District Bundi (Rajasthan).
(Presently confined in Central Jail, Kota)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajneesh Gupta
For Respondent(s)	:	Ms.Manju Dave, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

04/02/2025

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त का कथन है कि उनके द्वारा मूल आपराधिक अपील संख्या 243/2024 में अभियुक्त की सजा स्थगन का प्रार्थना–पत्र पेश किया था जिसमें अंतरिम जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र संख्या 01/2024 प्रस्तुत किया हुआ है। उनका तर्क है कि जब यह अंतरिम जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया था तब अपीलार्थी के पिता कैंसर से पीड़ित होकर गम्भीर अवस्था में थे और प्रार्थना–पत्र के लम्बित रहने के दौरान ही दिनांक 31.01.2025 को उनकी मृत्यु हो गई है। अपीलार्थी ही उनका पुत्र है एवं उसे ही मृत्यु के पश्चात् के सभी अंतिम संस्कार करने हैं, ऐसी स्थिति में अंतरिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या 01/2024 स्वीकार कर अपीलार्थी को 15 दिवस की अंतरिम जमानत दी जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने अंतरिम जमानत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों का सत्यापन करवाकर रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त के पिता देवकीनंदन का लाखेरी गांव में कैंसर की बीमारी के कारण निधन हो गया है।

दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया। अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत तर्कों एवं दस्तावेजों तथा विद्वान लोक अभियोजक के द्वारा प्रस्तुत उक्त तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में प्रार्थना–पत्र संख्या 01/2024 स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी–अभियुक्त को अपने पिता की मृत्यु के पश्चात आवश्यक सामाजिक रस्मों के निर्वहन हेतु **दिनांक 19.02.2025** तक की अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त **गणेश टांक उर्फ राजा टांक पुत्र देवकी नन्दन** की ओर से प्रस्तुत अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 01/2024 स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी–अभियुक्त विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद एक लाख रूपये का बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानतें इन शर्तों के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे कि वह अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के पश्चात दिनांक **19.02.2025 को सुबह दस बजे** तक संबंधित कारागृह में स्वयं उपस्थित होकर समर्पण कर देगा तो उसे तब तक अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए। आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को फैक्स/ईमेल के जरिये अविलम्ब आज ही प्रेषित की जाए। अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक समर्पण नहीं किये जाने पर संबंधित कारागृह के सक्षम अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय/इस न्यायालय को अविलम्ब सूचित किया जाएगा।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /104